



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001



CIN : L40101DL1989GOI038121

दिनांक: 12 April, 2023

PGCIL/R/E/23/00103 & 00104

Shri V K GAUR,
Makan No. C-115, Gali No.08, Kanti Nagar Extension, Delhi-110051

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 21 March, 2023 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध पत्रों का संदर्भ लें ।

उपरोक्त पत्रों में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है ।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा

कार्यपालक निदेशक (के.आयोजना एवं सी.एस.) एवं अपील प्राधिकारी

केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,

सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।

ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in

फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,

(1) जगन्नाथ राव
12/04/23

(ए. जगन्नाथ राव)

मुख्य महाप्रबंधक (केन्द्रीय आयोजना) एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

विषय: श्री वी. के. गौड़, कांती नगर एक्सटेंशन, दिल्ली द्वारा आर.टी.आई. आवेदनों का जवाब
(आर.टी.आई. आवेदन रजि0 सं0. PGCIL/R/E/23/00103 & 00104)

क्रमांक	मांगी गई सूचना:	पावरगिड का जवाब:
1.	पावरगिड विभाग में कार्यरत ऐसे कार्यपालकों के विवरण का प्रमाणित दस्तावेज/सूची मय पिता/पत्नी का नाम, कर्मचारी संख्या व तैनाती स्थल सहित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें जिनके स्पाऊस केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पावरगिड और ऑटोनोमस बॉडी में कार्यरत हैं।	मांगी गई जानकारी का उद्देश्य तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना है और इस प्रश्न का उत्तर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(जे) के अनुसार "सूचना" के अनुरूप में योग्य नहीं है।
2.	पावरगिड विभाग में कार्यरत ऐसे कार्यपालकों के विवरण का प्रमाणित दस्तावेज/सूची मय पिता/पत्नी का नाम, कर्मचारी संख्या व तैनाती स्थल सहित उपलब्ध करावें जिनके स्पाऊस केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पावरगिड और ऑटोनोमस बॉडी में कार्यरत हैं, तथा पति/पत्नी दोनों ही एच.आर.ए./लीज ले रहे हैं उनके प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें।	
3.	पावरगिड विभाग में कार्यरत ऐसे कार्यपालकों के विवरण का प्रमाणित दस्तावेज/सूची प्रदान करें जिनके स्पाऊस केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पावरगिड और ऑटोनोमस बॉडी में कार्यरत हैं एवं वे कार्यपालक अपने स्पाऊस का चिकित्सा पुनर्भरण दावे पावरगिड में प्रस्तुत कर भुगतान ले रहे हैं अथवा नहीं संदर्भित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें।	क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 का जवाब: आपके द्वारा मांगी गई सूचना व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है अथवा इस सूचना से किसी भी व्यक्ति की एकांकता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा। अतः ऐसी व्यक्तिगत सूचना के प्रकट किये जाने से, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1) (जे) के अंतर्गत छूट है।
4.	पावरगिड विभाग में कार्यरत ऐसे कार्यपालकों के विवरण का प्रमाणित दस्तावेज/सूची कार्यपालक जिनके स्पाऊस केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पावरगिड और ऑटोनोमस बॉडी में कार्यरत हैं तथा वे अपने स्पाऊस और आश्रित सदस्यों का चिकित्सा पुनर्भरण पावरगिड से लेते हैं, तो क्या पावरगिड के प्रबंधन द्वारा कार्यपालक का स्पाऊस जहां कार्यरत हैं उस विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा पुनर्भरण अन्यत्र विभाग से लेने हेतु चिकित्सा पुनर्भरण नियमांतर्गत एन.ओ.सी. संदर्भित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें।	
5.	पावरगिड विभाग में शादी के उपरांत विगत वर्ष 2009 से कार्यरत ऐसे महिला कर्मिकों के विवरण का प्रमाणित दस्तावेज/सूची जिनके स्पाऊस केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पावरगिड और ऑटोनोमस बॉडी में कार्यरत हैं तथा वे अपने स्पाऊस और आश्रित सदस्यों का चिकित्सा पुनर्भरण हेतु पावरगिड के प्रबंधन द्वारा उस विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा पुनर्भरण अन्यत्र विभाग से लेने हेतु चिकित्सा पुनर्भरण नियमान्तर्गत एन.ओ.सी. संदर्भित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें।	

विकार
12/4/23